



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8130 सन् 2026

अतुल मिश्रा एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: ललित कुमार मिश्र

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार मिश्र तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री करुणाकर सिंह को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आवेदकगण द्वारा वाद संख्या 1567 सन् 2021 की समस्त कार्यवाही को, जो कि मुकदमा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध संख्या 670 सन् 2020 से उत्पन्न है, धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली से संबंधित है, तथा दिनांक 17.09.2021 के संज्ञान/समन आदेश को, जो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, बरेली की अदालत में लंबित है, निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

3. आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माननीय मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते समय न्यायिक मन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आदेश एक मुद्रित प्रारूप पर पारित किया गया है, जिसमें अभियुक्त का नाम, मुकदमा अपराध संख्या तथा धाराएँ हस्तलिखित रूप से भरी गई हैं।

4. इस न्यायालय के निर्णय अंकित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जे.आई.सी. 2010 (1) 432 पर निर्भर करते हुए, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आक्षेपित आदेश मुद्रित प्रारूप पर होने के कारण स्पष्ट रूप से न्यायिक मन के प्रयोग के बिना पारित किया गया है और इस आधार मात्र पर ही निरस्त किए जाने योग्य है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया है कि आक्षेपित आदेश मुद्रित प्रारूप पर पारित किया गया है और अतः अंकित (उपर्युक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को एक नवीन आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

6. मैंने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

7. अभियुक्त को समन करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति कागज-पुस्तिका के पृष्ठ 22 पर परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न की गई है। उपर्युक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह एक टंकित प्रारूप है, जिसमें केवल वाद संख्या, पक्षकारों के नाम, धाराएँ, दिनांक तथा अगली तिथि की जानकारी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तलिखित रूप से भरी जानी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रित प्रारूप में रिक्त स्थान किसी न्यायालय कर्मचारी द्वारा भरे गए हैं और तत्पश्चात अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, बरेली ने मात्र अपने हस्ताक्षर/संक्षिप्त हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मजिस्ट्रेट ने आदेश न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना यांत्रिक ढंग से पारित किया है।

8. यद्यपि उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा मुद्रित प्रारूप पर आदेश पारित करने की इस प्रकार की प्रथा को निरंतर अस्वीकार किया गया है, तथापि यह अत्यंत पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे आदेश के माध्यम से समन किया गया है, जिसमें मुद्रित प्रारूप में रिक्त स्थानों को न्यायिक मन का प्रयोग किए बिना भरा गया है। इस प्रकार के आदेश को इस न्यायालय द्वारा अंकित (उपर्युक्त) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों पर निर्भर करते हुए, पहले ही अस्थिर/असमर्थनीय ठहराया जा चुका है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:

"8. ? यद्यपि इस न्यायालय द्वारा मेघ नाथ गुप्तास एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2008 (62) ए.सी.सी. 826 के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है, जिसमें उप मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात बनाम रोशन लाल अग्रवाल, 2003 (4) ए.सी.सी. 686 (एस.सी.), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोहन मीकिंस, 2000 (2) जे.आई.सी. 159 (एस.सी.) : ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1456 तथा कांती भद्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2000 (1) जे.आई.सी. 751 (एस.सी.) : 2000 (40) ए.सी.सी. 441 (एस.सी.) के प्रकरणों का संदर्भ लिया गया है, कि मजिस्ट्रेट को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप पत्र पर संज्ञान ग्रहण करते समय विस्तृत कारणयुक्त आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि संज्ञान ग्रहण करने का आदेश मुद्रित प्रारूप में रिक्त स्थान भरकर पारित किया जा सकता है। किसी भी न्यायिक आदेश को पारित करते समय, जिसमें आरोप पत्र पर संज्ञान ग्रहण करने का आदेश भी सम्मिलित है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायिक मन का प्रयोग करे और संज्ञान ग्रहण करने का आदेश भी यांत्रिक ढंग से पारित नहीं किया जा सकता। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाना आवश्यक है, ताकि वह न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए आरोप पत्र पर नवीन आदेश पारित करे।

9. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, संबंधित न्यायिक अधिकारियों द्वारा मुद्रित प्रारूप में रिक्त स्थान भरकर बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए आदेश पारित करने का आचरण आपत्तिजनक है और इसकी निंदा की जानी अपेक्षित है। किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त को समन किया जाना एक गंभीर विषय है और आदेश में यह परिलक्षित होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों तथा उन पर लागू विधि, दोनों पर अपना न्यायिक मन लागू किया है।

10. उपर्युक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान आवेदन अनुमन्य किया जाता है। दिनांक 17.09.2021 का आक्षेपित आदेश, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, बरेली द्वारा पारित किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायिक मन का प्रयोग करते हुए नवीन आदेश पारित करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 18 मार्च, 2026

टी. सिन्हा

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।